कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर

क्र0सं0 : 1060 दिनांक : 29 जनवरी, 2018

—:: आदेश ::—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्था.(अधी.न्याय)/2017/01 दिनांक 14.07.2017 एवं राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(5) वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक 6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक 8217 दिनांक 09.11.2017 द्वारा जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में दिनांक 01.04.2003 को स्वीकृत **वरिष्ठ मुंसरिम** के पदों तथा तत्पश्चात् जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र के अंतर्गत समय–समय पर न्यायालयों के नवसृजन/समायोजन होने पर वर्तमान में अभिनिर्धारित पदों पर, उपरोक्त आदेशों/ अधिसूचना/वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत निम्नांकित कर्मचारीगण को तत्समय प्रभावी नियमों के तहत उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 8000–275–13500 (13 new) व दिनांक 01.09.2006 से पीबी–3 रनिंग पे बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे 5400/– तथा दिनांक 01.07.2013 से पीबी–3 रनिंग पे बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे–5400/– तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे मैट्रिक्स में लेवल एल–14 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर वरीयता सह योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है :–

S.N.	Name (Sarva Sh./ Smt./ Kum.)	DOB	Period of Promotion on the post of Sr. Munsarim
1	SHABUDDIN	20-Jun-47	04.06.2004 to 30.06.2005
2	MAHESH CHAND SHARMA	5-Jul-51	30.08.2008 to 31.08.2009
3	KRISHANBIHARI MATHUR	25-Aug-54	01.09.2009 to 31.07.2011
4	PRAMOD KUMAR JAIN	4-Aug-59	01.08.2011 to continue
5	NAND KISHORE MITTAL	19-Jan-55	01.05.2014 to 31.08.2014
6	PRADEEP KUMAR JAIN	19-Sep-62	01.09.2014 to 31.10.2016
7	SURESH CHAND JAIN	21-May-59	01.06.2015 to continue
8	PREM CHAND BAIRWA	22-Jul-66	01.06.2015 to continue
9	SURENDRA KUMAR SHARMA	20-Oct-66	01.06.2015 to continue
10	MAHESH MITTAL	10-Jul-65	01.06.2015 to continue
11	OMPRAKASH CHOUDHARY	3-Jul-62	01.06.2015 to continue
12	HARDAYAL SHARMA	30-Jun-62	01.06.2015 to continue
13	ASHOK KUMAR SHARMA	5-Jan-56	01.06.2015 to 31.01.2016
14	MOH. SHAKIR	15-Jul-55	01.06.2015 to 31.07.2015
15	BABUSINGH INDA	21-Sep-55	01.06.2015 to 30.09.2015
16	BABU LAL PAREEK	25-Oct-55	01.06.2015 to 31.10.2015
17	RAMLAL CHOUDHARY	15-Jul-64	01.06.2015 to continue
18	MAHESH CHAND SHARMA	5-Jul-55	01.06.2015 to 31.07.2015
19	MAHENDRA KUMAR SHARMA	3-Nov-55	01.08.2015 to 30.11.2015
20	GAJANAND YADAV	9-Aug-57	01.08.2015 to 31.08.2017
21	DWARKA PRASAD BUNKAR	15-Jul-59	01.10.2015 to continue
22	SHYAM SUNDAR PAREEK	18-Mar-58	01.11.2015 to continue
23	PREMCHAND SAIN	3-Aug-56	01.12.2015 to 31.08.2016
24	CHHOTE LAL TANWAR	8-May-56	01.02.2016 to 31.05.2016
25	VINOD SHARMA	8-Dec-59	01.06.2016 to 09.11.2016
26	JITENDRA KUMAR SAINI	31-Aug-63	01.09.2016 to continue
27	OMPRAKASH SONI	1-Jun-59	01.09.2016 to continue
28	ARVIND KUMAR MATHUR	12-Feb-57	01.11.2016 to 28.02.2017
29	VISHNU YASHDEV PARASHAR	30-Jun-59	01.12.2016 to continue
30	ROOP NARAYAN YADAV	1-Jul-65	01.03.2017 to continue

S.N.	Name (Sarva Sh./ Smt./ Kum.)	DOB	Period of Promotion on the post of Sr. Munsarim
31	PRAMOD KUMAR PANDEY	9-Oct-59	01.09.2017 to 15.11.2017
32	RAM RATAN SRIMAL	2-Mar-58	01.10.2017 to continue
33	RAJENDRA KUMAR KHURANA	28-May-60	01.12.2017 to continue

नोट :–

1. उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा पुस्तिका में किया जावे तथा नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे।
2. सेवानिवृत/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नकद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
3. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण की दिनांक 01.04.2003 अथवा उनकी पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016 तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जीपीएफ खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन0पी0एस0 की कटौती करते हुए नकद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
4. उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिफारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से एक तिथि विशेष को की गयी है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि/भूल पाये जाने एवं राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाये जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
5. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक् से प्रसारित किये जाएंगे।
6. उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारीगण (कार्यरत) को नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

Sd/–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर

क्र0सं0 : 1060 दिनांक : 29 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर
02. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. संबंधित न्यायालय
04. संबंधित कर्मचारी
05. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर